

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—ज्येष्ठ 16, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. एफ-2-1-2014-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड वाल्यूम-एक में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में,—

(क) खण्ड (10-क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

“(10-क) ‘वित्त सलाहकार’ से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी जिसे वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग के वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है.”

(ख) खण्ड (10-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(10-ख) ‘सहायक वित्त सलाहकार’ से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी, जिसे वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के सहायक वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है.”

(2) नियम 52-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“52-क. किसी प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय विभाग होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा.”

(3) नियम 52-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“52-ख. किसी प्राधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा सहायक वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा.”

No.F-2-1-2014-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Financial Code, Volume-I, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 2,—

(a) for clause (10-a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(10-a) ‘Financial Advisor’ means a Gazetted officer of the Madhya Pradesh Finance Service, or an Officer of All India Services, who has been declared by the Finance Department as Financial Advisor to the Administrative Department.”;

(b) after Clause (10-a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(10-b) ‘Assistant Financial Advisor’ means a Gazetted Officer of the Madhya Pradesh Finance Service, who has been declared by the Finance Department as Assistant Financial Advisor, to the Head of the Department.”.

(2) For rule 52-A, the following rule shall be substituted, namely:—

“52-A. Financial powers exercisable by any authority by virtue of being the Administrative Department shall be exercised by him after consultation with the Financial Advisor.”;

(3) after Rule 52-A, the following rule shall be inserted, namely:—

“52-B. Financial powers exercisable by any authority by virtue of being the Head of the Department shall be exercised by him after consultation with the Assistant Financial Advisor.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.